न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : वंदना सिंघवी,

राजस्व अपील संख्या 371/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
श्रीमती मुमल पत्नी भोपाराम पुत्री मोडाराम जाति माली निवासी कुडला तहसील व जिला बाडमेर		1– ग्राम पंचायत बाडमेर आगोर जरिये सरपंच 2– कानाराम पुत्र मोडाराम जाति माली निवासी गायत्री कॉलोनी, सिणधर चौराहा, सब्जी मण्डी रोड, बाडमेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 4–5–2015 जो उपखण्ड अधिकारी बाडमेर द्वारा राजस्व अपील संख्या 9/2011 अनवान मूमल बनाम ग्राम पंचायत बाडमेर आगोर वगैरा मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री सिद्धार्थ परिहार अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री लाधूराम पूनिया अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 25–4–2018

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम लालणियों की ढाणी तहसील बाडमेर स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 442/1 रकबा 18 बीघा भूमि के खातेदार मोडाराम वल्द रामाराम कौम माली सा0 देह के फोत होने पर उक्त खातेदारी की भूमि का फोतेदगी नामांतरकरण संख्या 80 उसके वारिसान पुत्र वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 कानाराम पुत्र मोडाराम माली के नाम सरपंच ग्राम पंचायत बाडमेर आगोर द्वारा दिनांक 9–1–96 को स्वीकृत किया गया । उक्त म्युटेशन संख्या 80 के विरूद्ध वर्तमान अपीलांट श्रीमती मूमल पुत्री मोडाराम ने अपने पिता के खातेदारी की भूमि मे उसका नाम दर्ज नही किया जाने से अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडमेर के समक्ष वर्ष 2011 मे प्रथम अपील पेश की तथा अपील विलंब से पेश करने के कारण अपील के साथ धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र भी पेश किया । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील पत्रावली को राजस्व लोक अदालत केम्प ग्राम पंचायत बाडमेर आगोर मे रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने अपील को मयाद बाहर मानकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 4–7–15 को खारीज कर दी । जिसके विरूद्ध वर्तमान अपील दिनांक 5–11–2015 को विलंब से पेश की गई है ।

उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई । वकील अपीलांट ने अपनी बहस के दौरान अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीयां की अपील को मयाद बाहर मानकर खारीज करने मे विधिक भूल की है । वकील अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील के साथ धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे विलंब को क्षमा

करने हेतु जो कारण दर्शाये गये थे उनके आधार पर धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना चाहिये था । वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का रेस्पो0 द्वारा कोई जवाब या खण्डन नही किया गया था और न ही ऐसी कोई एवीडेन्स रेकर्ड पर थी जिससे यह माना जा सके कि अपीलाधीन म्युटेशन अपीलार्थीयां को सुनकर पारित किया गया हो । वकील अपीलांट ने कथन किया कि मयाद की आड मे अपीलार्थियां को विरासत मे प्राप्त उसके अधिकारो से वंचित नही किया जाकर अपील के गुणावगुण पर विचार किया जाना चाहिये था परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी बिन्दु पर गौर किये बिना जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलार्थीयां ने यह भी कथन किया कि प्रस्तुत प्रकरण मे अपीलार्थियां एवं रेस्पो0 संख्या दो स्व0 मोडाराम के वारिसान है तथा इसलिए खातेदार मोडाराम के स्वर्गवास होने पर विरासत मे दोनो का अधिकार अपीलाधीन भूमि मे था परंतु विरासत के नामांतरकरण स्वीकृति मे केवल रेस्पो0 संख्या 2 मृतक के पुत्र का ही नाम दर्ज करते हुए स्वीकृत कर दिया, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर किये बिना ही जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अपीलार्थियां की अपील जो अधीनस्थ न्यायालय मे वर्ष 2011 से विचाराधीन थी एवं उसमे स्थगन आदेश भी जारी किया हुआ था तथा अपीलार्थियां की ओर से अधिवक्ता कोर्ट मे उपस्थित हो रहे थे परंतु अपीलार्थियां को अथवा उसके अधिवक्ता को बिना किसी नोटिस एवं सूचना के ही पत्रावली को केम्प कोर्ट मे ले जाकर पक्षकारान मय अधिवक्ता बावजुद सूचना के हाजिर नही होने का उल्लेख करते हुए अपीलाधीन आदेश के द्वारा अपील को मयाद के बिन्दु पर ही खारीज कर दी जबकि अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका मे पत्रावली को कोर्ट केम्प मे रखने बाबत कोई आदेशिका ड्रॉ नही की हुई है और न ही अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे केम्प कोर्ट मे प्रकरण को रखने बाबत अपीलार्थियां को कोई नोटिस जारी होना पाया जाता है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त के विपरीत होने से निरस्त योग्य है ।

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 4–4–2015 एवं अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 80 दोनो को निरस्त करने तथा अपीलार्थियां का नाम म्युटेशन मे रेस्पो0 संख्या 2 के साथ दर्ज करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 संख्या 2 के अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि अपीलार्थियां को अपीलाधीन म्युटेशन की जानकारी प्रारंभ से ही थी तथा उसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे म्युटेशन स्वीकृति के 19 वर्ष के असाधारण देरी के बाद अपील पेश की तथा इतने समय तक वह अपने हक अधिकारो के लिए चुप क्यो रही तथा कोई कार्यवाही क्यो नही की, जो स्पष्ट रूप से मयाद बाहर थी तथा अपीलार्थियां द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र

मे देरी का कोई स्पष्ट एवं संतोषप्रद कारण प्रकट किये बिना अपील पेश की गई होने से अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थियां की अपील को खारीज किया है, जिसमे कोई विधिक त्रुटि नही होने से अपीलार्थियां की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0 संख्या 2 ने अपनी बहस मे यह भी कथन किया कि अपीलार्थियां द्वारा प्रस्तुत यह द्वितीय अपील भी विलंब से प्रस्तुत की गई है जबकि अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही मे अपील स्वयं अपीलार्थियां ने ही पेश की था फिर भी अपीलाधीन आदेश पारित होने के बाद अपीलीय अवधि बीत जाने के बाद यह अपील पेश की है, जो भी मयाद के बिन्दु पर खारीज योग्य है ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अपीलाधीन निर्णय, अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 80 तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजो आदि का अवलोकन किया । ग्राम लालणियों की ढाणी तहसील बाडमेर स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 442/1 रकबा 18 बीघा भूमि के खातेदार मोडाराम वल्द रामाराम कौम माली सा0 देह के फोत होने पर उक्त खातेदारी की भूमि का फोतेदगी नामांतरकरण संख्या 80 उसके पुत्र वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 कानाराम पुत्र मोडाराम माली के नाम सरपंच ग्राम पंचायत बाडमेर आगोर द्वारा दिनांक 9–1–96 को स्वीकृत किया गया जबकि अपीलांट श्रीमती मूमल जो कि स्व0 खातेदार मोडाराम की जायंदा पुत्री होने से प्रथम श्रेणी की वारिस जीवित थी इसलिए अपीलार्थियां ने उक्त म्युटेशन संख्या 80 को विधिविरूद्ध होना मानते हुए उसे निरस्त करवाने तथा अपीलाधीन भूमि मे मृतक के पुत्र के साथ अपना नाम भी दर्ज करवाने बाबत अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडमेर के समक्ष प्रथम अपील पेश की तथा अपील विलंब से पेश होने से अपील के साथ धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र भी पेश किया गया ।

अधीनस्थ न्यायालय मे अपील पेश होने पर उक्त अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिसेज जारी हुए तथा अप्रार्थी संख्या 1 बावजुद तामिली के अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही की गई तथा रेस्पो0 संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए जिनके द्वारा प्रकरण मे पैरवी की जा रही थी । पत्रावली आदेशिकाओं अनुसार दिनांक 29–4–2015 तक नियमित कोर्ट मे चल रही थी तथा अंतिम आदेशिका दिनांक 29–4–2015 जो सीलनुमा "वकालाय फरीकेन उपस्थित, पीठासीन अधिकारी दीगर कार्यो मे व्यस्थ है, मिसल इल्तवा होकर दिनांक 4–7–15 को पेश होने का उल्लेख है" परंतु दिनांक 4–7–2015 को पत्रावली राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट स्थल ग्राम पंचायत बाडमेर आगोर मे रा.उ.प्रा.वि.मेघवालो की बस्ती मे रखते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया जाना पाया जाता है तथा आदेश मे पक्षकारान मय अधिवक्ता बावजुद सूचना के हाजिर नही होने का उल्लेख किया गया है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे कोर्ट केम्प मे पत्रावली को रखे जाने बाबत आदेश आदेशिका मे नही है और न ही पत्रावली मे केम्प कोर्ट मे पत्रावली रखने की सूचना या नोटिस उपलब्ध है । इससे प्रकट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय बिना अपीलार्थियां को सुनवाई का अवसर दिये एकतरफा पारित किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने से समर्थन योग्य नही है ।

प्रस्तुत प्रकरण मे यह तथ्य निर्विवादित है कि अपीलार्थियां एवं रेस्पो0 संख्या 2 मृतक खातेदार मोडाराम के पुत्र पुत्रि है तथा दोनो ही हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के प्रावधान अनुसार प्रथम श्रेणी के वारिस है । ऐसे मे विरासत एवं उतराधिकार के नामांतरकरण मे प्रकरण के गुणावगुण पर विचार किया जाना चाहिये था जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने अपील को मयाद का बिन्दु पर ही खारीज कर दी जो विधिसम्मत नही माना जा सकता है ।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थियां द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील को स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडमेर द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय दिनांक 4–7–15 एवं म्युटेशन संख्या 80 निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार बाडमेर को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि मृतक मोटाराम के विधिक वारिसान की विधिवत जांच कर उभयपक्षो को नोटिस जारी कर सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधिवत म्युटेशन की कार्यवाही सम्पन्न करे ।

निर्णय आज दिनांक 25–4–2018 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(वंदना सिंघवी)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर